

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2016 पार्ट

जयपुर, दिनांक 02/11/19

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषय:-नवसृजित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय नादौती जिला करौली हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भ:- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.11.2019 द्वारा सृजित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय नादौती जिला करौली हेतु निम्नलिखित पद सृजित करने की माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	पे-स्केल	पे-बैंड/ पे-लेवल/ ग्रेड-पे	पे-मैट्रिक्स	पदों की संख्या
1	पीएसडी अधिकारी	-	-	-	1 पद
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-III	9300-34800	PB-II/L- 10/3600	33800	1 पद
3	शेरिश्तेदार ग्रेड-III	5200-20200	PB-I/L- 8/2800	26300	1 पद
4	रीडर ग्रेड-III	5200-20200	PB-I/L- 8/2800	26300	1 पद
6	लिपिक ग्रेड-III	5200-20200	PB-I/L- 5/2400	20800	3 पद
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	PB-I/L- 1/1700	17700	4 पद
	कुल				11 पद

उक्त न्यायालय हेतु नवीन आईटम्स के लिये निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	नवीन आईटम्स	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
	योग	5.57


उक्त नवीन आईटम्स क्रय करते समय तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।

उक्त न्यायालय के भवन के निर्माण के अतिरिक्त अन्य व्यय मय नवीन आईटम्स संबंधित बजट मद 2014-00-105-(03)-[00] (राज्य निधि) से वहन किया जायेगा। जिसमें वर्तमान में विभाग के पास पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं। किसी बजट मद में अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता होने पर संशोधित अनुमान 2019-20 में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

न्यायालय के भवन के लिए निर्माण का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 60:40 में वहन किया जाता है। अतः निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए केन्द्रीय हिस्से की राशि प्राप्त होने पर न्यायालय के भवन के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता, तखमीना इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी संख्या 101904398 दिनांक 10.10.2019 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय


प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव